भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2007
गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

2007. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एयरलाइनों द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक हवाई किराए पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने हेतु हवाई किराए को सीमित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) कम हवाई किराए की भरपाई के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) के अंतर्गत एयरलाइनों को वर्षवार और एयरलाइन-वार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं और वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-135 का अनुपालन करते हुए एयरलाइनें अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर हवाई किराए का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग की मौलिक आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। वर्तमान सीट उपलब्धता, ईंधन लागत, विमान क्षमता और प्रतिस्पर्धी कारकों जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

हवाई किराए में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, मंत्रालय सतर्क रहता है और एयरलाइनों को संयम/स्व-विनियमन उपायों जैसे उड़ानों की संख्या में वृद्धि, क्षमता का पुनः आवंटन आदि, को अपनाने हेतु संवेदनशील बनाता है जैसा कि महामारी, त्योहारों, महाकुंभ और पहलगाम घटना के दौरान किया गया था।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डीजीसीए ने टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके यादृच्छिक आधार पर 78 चयनित मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-135 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक विमान किराया न वसूलें। यह घरेलू यातायात के लगभग 27% को कवर करता है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) में मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाईअड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देशभर में क्षेत्रीय विकास होगा।

इस योजना के अंतर्गत 15 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 637 आरसीएस मार्गों को परिचालित किया गया है। आरसीएस सीटों पर हवाई किराया 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है जिस पर चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को वीजीएफ प्रदान किया जाता है।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषन (वीजीएफ) के तहत एयरलाइनों को वर्ष-वार और एयरलाइन-वार भुगतान की गई कुल राशि का ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है।

अनुलग्नक

***वर्ष 2017-18 से एयरलाइनों को संवितरित कुल वीजीएफ 4159.73 करोड़ रुपये है।**

एयरलाइनों को संवितरित वीजीएफ

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम सं.		2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	**एलाइंस एअर**	177.54	130.05	97.47	16.16	421.22
2.	**एयर टैक्सी**	0	3.75	14.75	3.73	22.23
3.	**बीग चार्टर्स**	86.63	64.52	54.26	13.95	219.36
4.	**घोड़ावत**	75.17	116.76	186.68	33.02	411.63
5.	**जीएसईसी सम्राट**	5.94	16.83	23.46	4.04	50.27
6.	**हैरिटेज**	12.78	15.22	26.19	3.91	58.1
7.	**इंडिगो**	298.61	296.98	107.79	0	703.38
8.	**पवन हंस**	25.5	32.52	21.21	5.03	84.26
9.	**स्पाइसजेट**	116.17	129.99	26.89	18.71	291.76
10.	**जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड**	0	0.4	69.26	14.61	84.27
	कुल	**798.34**	**807.02**	**627.96**	**113.16**	**2346.48**

******